GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

GELC ARCHIVE

Signature: **GELC-A _ 001 _ 0004**

Classification:

Original File No. 2

Title

Law For Church Supervisers (Old)

Volume:

Running **from year: 1925** **till year:**

Content:

- **Works to be done by Church Supervisors**

2

[illegible]

Law for Church Supervisors
(Cold)

1925

जीः ईः एलः कलीसा के सुपरभैजरोंके लिये नियम।

जीः ईः एलः कलीसाके सुपरभैजर लोग जीः ईः एलः चर्च कौंसिलसे पूरा अधिकार पाकर नीचे लिखी हुई बातोंकी जांच करने के लिये इलाकों में जायेंगे—

हर एक सुपरभैजरको कमिशन सर्टिफिकट दिया जायगा जिसमें चर्च कौंसिलके पदधारियोंकी सही रहेगी।

सुपरभैजर लोग इन कामों को करेंगे :—

१ वे मण्डली कर्म्मचारियों—पाद्रियों, कण्डिदातों, प्रचारकों और प्राचीनों Panchon का खबर लेंगे।

२ वे गिर्जाओं (आराधना), सन्डे स्कूलों, प्रार्थना और भक्ति सम्बन्धी मीटिंगों, धर्म्म प्रचार, धर्म्मखोजकों, panchon इत्यादि २ बातोंका तलाश करेंगे।

३ वे दण्डव्यवस्था सम्बन्धी बातोंकी जांच करेंगे।

४ वे यह देखेंगे कि चर्च कौंसिल से बनाये हुए आदर्श नियमोंको और नियमावली को इलाकाएं धारण और पालन करती हैं वा नहीं।

५ जब कभी हो सके तो वे इलाका, पाद्रीपन, और प्रचारकपनों के सम्मिलनों में हाजिर होंगे।

६ वे इलाका, पाद्रीपन, और प्रचारकपन पंचोंकी बैठकियों में हाजिर होंगे और जांच करेंगे कि क्या वे नियमित और आम तौर से होती हैं, और उनके मन्तव्योंको देखेंगे। Pracharakon ki badli ki baton ko bhi dekhen.

७ वें इन बातोंका खबर लेंगे अर्थात हिसाब, हिसाब जांच, बही बस्ता, मण्डली चन्दा, तलब बांटना, होस्टेल हिसाब और पास्टर सुपरभेजरोंका होस्टेल हिसाब।

८ वे मण्डलीकी साधारण और विशेष अवस्थाओंका खबर लेंगे।

९ वे प्रचलित अवगुणों, दोषों, मद्यपान, एतवार में काम करना, गिर्जामें अनुपस्थित होना, इत्यादि २ का देखभाल करेंगे।

१० वे मिशन वा मण्डली जायदादों अर्थात घरों और गिर्जा घरोंकी हालत, खेतोंकी अवस्था और उनका काम, और मिशन वा मण्डली जायदादों की आमदनी का देखभाल करेंगे। We Hata ke parti jamin men gachh, briksh o anya phasilon se amdani karne ke liye koshish karen.

११ वे मण्डली कर्म्मचारियोंको मर्दुमशुमारी फोर्म को भर कर फिराने के लिये चलावेंगे।

१२ सुपरभेजरों से उम्मेद की जाती है कि वे इन कामों को सेंतमेंत करेंगे, पर यदि बहुत आवश्यक हो तो कुछ भत्ता दिया जायगा।

१३ सुपरभैजर लोग अपने कामोंका रिपोर्ट चर्च कौंसिल को देंगे।

14. Supervisor dekhe ki sab Ilakon men ek hi niyam se sab kam howe.

१ली जुलाई १९२५,
रांची।

बिन्यामीन मिंज,
सेक्रेटरी चर्च कौंसिल।

15. Nana prakar ke phasilon ko manauti kar ke ropwane (lagwane) men koshish karawen.

16. Mandli paisa har ek ghar se liyakat motabik lene ki shipharish kiya jay.

जीः ईः एलः कलीसा के सुपरभैजरोंके लिये नियम ।

जीः ईः एलः कलीसाके सुपरभैजर लोग जीः ईः एलः चर्च कौंसिलसे पूरा अधिकार पाकर नीचे लिखी हुई बातोंकी जांच करने के लिये इलाकों में जायेंगे—

हर एक सुपरभैजरको कमिशन सर्टिफिकट दिया जायगा जिसमें चर्च कौंसिलके पदधारियोंकी सही रहेगी ।

सुपरभैजर लोग इन कामों को करेंगे :—

१ वे मण्डली कर्म्मचारियों—पाद्रियों, कण्डिडातों, प्रचारकों और प्राचीनों पंचों का खबर लेंगे ।

२ वे गिर्जाओं (आराधना), सन्डे स्कूलों, प्रार्थना और भक्ति सम्बन्धी मीटिंगों, धर्म्म प्रचार, धर्म्मखोजकों, पंचों इत्यादि २ बातोंका तलाश करेंगे ।

३ वे दण्डव्यवस्था सम्बन्धी बातोंकी जांच करेंगे ।

नियमावली पालन की जाती हैं वा नहीं

४ वे यह देखेंगे कि चर्च कौंसिल से बनाये हुए आदर्श नियमोंको इलाकाएं धारण और पालन करती हैं वा नहीं ।

५ जब कभी हो सके तो वे इलाका, पाद्रीपन, और प्रचारकपनों के सम्मिलनों में हाजिर होंगे ।

६ वे इलाका, पाद्रीपन, और प्रचारकपन पंचोंकी बैठकियों में हाजिर होंगे और जांच करेंगे कि क्या वे नियमित और आम तौर से होती हैं, और उनके मन्तव्योंको देखेंगे । प्रचारकों की बदली की बातों को भी देखें

७ वे इन बातोंका खबर लेंगे अर्थात हिसाब, हिसाब जांच, बही बस्ता, मण्डली चन्दा, तलब बांटना, होस्टेल हिसाब और पास्टर सुपरभैजरोंका होस्टेल हिसाब ।

८ वे मण्डलीकी साधारण और विशेष अवस्थाओंका खबर लेंगे ।

९ वे प्रचलित अवगुणों, दोषों, मद्यपान, एतवार में काम करना, गिर्जामें अनुपस्थित होना, इत्यादि २ का देखभाल करेंगे ।

१० वे मिशन वा मण्डली जायदादों अर्थात घरों और गिर्जा घरोंकी हालत, खेतोंकी अवस्था और उनका काम, और मिशन वा मण्डली जायदादों की आमदनी का देखभाल करेंगे । वे [illegible]

११ वे मण्डली कर्म्मचारियोंको मर्दुमशुमारी फोर्म को भर कर फिराने के लिये चलावेंगे ।

१२ सुपरभैजरों से उम्मेद की जाती है कि वे इन कामों को सेंतमेंत करेंगे, पर यदि बहुत आवश्यक हो तो कुछ भत्ता दिया जायगा ।

१३ सुपरभैजर लोग अपने कामोंका रिपोर्ट चर्च कौंसिल को देंगे ।

१४. सुपरभैजर देखें कि सब इलाकाओं में एकही नियम से सब काम होवे ।

१ली जुलाई १९२५,
रांची ।

बिन्यामीन मिंज,
सेक्रेटरी चर्च कौंसिल ।

१५. [illegible] (लगवाने) में कोशिश करावें ।

१६. [illegible] की शिफारिश किया जाय ।

जीः ईः एलः कलीसा के सुपरभैजरोंके लिये नियम।

जीः ईः एलः कलीसाके सुपरभैजर लोग जीः ईः एलः चर्च कौंसिलसे पूरा अधिकार पाकर नीचे लिखी हुई बातोंकी जांच करने के लिये इलाकों में जायेंगे—

हर एक सुपरभैजरको कमिशन सर्टिफिकट दिया जायगा जिसमें चर्च कौंसिलके पदधारियोंकी सही रहेगी।

सुपरभैजर लोग इन कामों को करेंगे :—

१ वे मण्डली कर्म्मचारियों—पाद्रियों, कखिइदातों, प्रचारकों और प्राचीनों पंचों का खबर लेंगे।

२ वे गिर्जाओं (आराधना), सन्डे स्कूलों, प्रार्थना और भक्ति सम्बन्धी मीटिंगों, धर्म्म प्रचार, धर्म्मखोजकों, पंचों इत्यादि २ बातोंका तलास करेंगे।

३ वे दण्डव्यवस्था सम्बन्धी बातोंकी जांच करेंगे।

४ वे यह देखेंगे कि चर्च कौंसिल से बनाये हुए आदर्श नियमोंको और नियमावली को इलाकाएं धारण और पालन करती हैं वा नहीं।

५ जब कभी हो सके तो वे इलाका, पाद्रीपन, और प्रचारकपनों के सम्मेलनों में हाजिर होंगे।

६ वे इलाका, पाद्रीपन, और प्रचारकपन पंचोंको बैठकियों में हाजिर होंगे और जांच करेंगे कि क्या वे नियमित और आम तौर से होती हैं, और उनके मन्तव्योंको देखेंगे। प्रचारकों की बदली की बातों को भी देखें।

७ वे इन बातोंका खबर लेंगे अर्थात हिसाब, हिसाब जांच, बही बस्ता, मण्डली चन्दा, तलब बांटना, होस्टेल हिसाब और पास्टर सुपरभैजरोंका होस्टेल हिसाब।

८ वे मण्डलीकी साधारण और बिशेष अवस्थाओंका खबर लेंगे।

९ वे प्रचलित अवगुणों, दोषों, मद्यपान, एतवार में काम करना, गिर्जामें अनुपस्थित होना, इत्यादि २ का देखभाल करेंगे।

१० वे मिशन वा मण्डली जायदादों अर्थात घरों और गिर्जा घरोंकी हालत, खेतोंकी अवस्था और उनका काम, और मिशन वा मण्डली जायदादों की आमदनी का देखभाल करेंगे। वे हाता के परती जमीन में गाछ, वृक्ष औ अन्य फासिलों से आमदनी करने के लिये शिफारिश करें।

११ वे मण्डली कर्म्मचारियोंको मर्दुमशुमारी फोर्म को भर कर फिराने के लिये चलावेंगे।

१२ सुपरभैजरों से उम्मेद की जाती है कि वे इन कामों को सेंतमेंत करेंगे, पर यदि बहुत आवश्यक हो तो कुछ भत्ता दिया जायगा।

१३ सुपरभैजर लोग अपने कामोंका रिपोर्ट चर्च कौंसिल को देंगे।

१४. सुपरभैज देखे कि सब इलाकाओं में एक ही नियम से सब काम होवे।

१ली जुलाई १९२५,
रांची।

बिन्यामीन मिंज,
सेक्रेटरी चर्च कौंसिल।

१५. नाना प्रकार के फासिलों को मनौती कर के रोपवाने (लगवाने) में कोशिश करावें।

१६. मण्डली पैसा हर एक घर से लियाकत मोताबिक लेने की शिफारिश किया जाय।

The Gossner Evangelical Lutheran Church in Chota Nagpur & Assam.

RANCHI.

To,

Mr._________________________________former Scholarshipholder.

_________________ Village, ____________ Thana

_________________ Ilaka, ____________ District.

In accordance with the recommendations framed by a Special Committee On Agreement for Scholarshipholders, printed in A. B. Minutes of Oct. 29-30, 1924, Item 14, it was proposed that the money available for aiding youngmen of the Gossner Autonomous Church in their preparation for their life work must for the continuous benefit of the Church and of unnumbered future generations of individual beneficiaries be looked upon not merely as so many scholarships ready for one time, unreturning expenditure but must become a permanent Loan Fund etc. and,

It was further Adopted (a) That beneficiaries of the Fund who enter the service of the Church shall repay the whole amount received by them, without interest and in relatively smaller instalments, if desired., and (b) Borrowers who enter work other than Church service of some sort (whether the Church has work to give or not) shall repay the full amount of their loans, with interest at $3\frac{1}{8}\%$ on the amount due to the Fund at the end of the month in which study is discontinued.

The Church Council accordingly have, with a view to revive the College Scholarship Fund as a Endowment and to aid Lutheran students in future years, decided that the former beneficiaries of the Fund who have stopped their studies and are working in some capacity either in the Church or elsewhere do repay the amount loaned out to them from ________________ 1929.

The money thus loaned out to you amounts to Rs.______________and the same with an interest of $3\frac{1}{8}\%$ comes to Rs.______________. Please therefore remit 10% of your salary or your income to the General Treasurer of the Church Council every month regularly beginning from the month of______________192... till the settlement of the loan. A duly signed receipt will be issued to you by the General Treasurer from time to time, towards the settlement of your dues.

RANCHI.

*The*______________*192* .

SECRETARY,

G. E. L. Church, Chota Nagpur & Assam.

G. E. L. M. P., RANCHI—16-8-29—500.

AGREEMENT

BETWEEN

THE CHURCH COUNCIL OF THE GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN CHOTA NAGPUR AND ASSAM

AND

Babu____Scholarship Holder.

Dated______________________________

IN CONSIDERATION of a scholarship of Rs...........per month, from June 1st 19...... to May 31st 19..., I agree either to serve my Church in some capacity which requires my full time, at a salary which an equally qualified man would receive for that work, for a period of two years for each year of scholarship payments, or to repay, without interest, to the Advisory Board of the Evangelical Lutheran Church, by monthly instalments, the amount of scholarship money received by me from the said Board, through the Church Council, these payments being at least 10% of any salary or other income I may begin to receive immediately after leaving the institution in which I shall have been reading and to continue until all is repaid.

____

Holder of Scholarship.

Accepted for the Church Council

______________________________Secretary.

Renewals to be noted on the back.

RULES GOVERNING THE AWARD OF SCHOLARSHIPS, ETC., APPROVED BY THE CHURCH COUNCIL AND THE ADVISORY BOARD.

1. All candidates for scholarships shall be recommended to the Advisory Board by the Church Council.

2. Scholarships shall, as a rule, be awarded for twelve months in each collegiate year, usually beginning with the month of June.

3. As a rule scholarships will not be awarded to "plucked" students.

4. All holders of scholarships shall be required to execute in favour of the Advisory Board bonds promising to refund to the Board the amount of the scholarships enjoyed, provided they do not enter the service of the Gossner Lutheran Church.

5. It shall be the duty of the Secretary to the Church Council to have these bonds executed.

6. Scholarships shall ordinarily be paid one month in advance, but in case of necessity they may be paid up to four months in advance, on request from the Principals of the institutions in which the holders are reading.

7. Scholarships will not be awarded as a rule to those who already are enjoying scholarships from another source, but in case of real need small supplementary scholarships may be awarded to those who enjoy scholarships from other sources.

8. When scholarships are paid in advance the amount thus paid shall be deducted from the total amount due and the remainder shall be paid in the most convenient way.

9. All correspondence concerning scholarships should come to the Advisory Board through the Secretary to the Church Council.